(129)

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा/2017/3562

माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ॥म0प्र0॥

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण ॥राजस्व॥

रामप्रसाद पुत्र आशाराम लोधी, आयु 45 वर्ष,

निवासी ग्राम राजपुरा तहसील मक्सूदनगढ़, जिलागुना

---- आवेदक

बनाम

1- जमनालाल

2- कन्हैयालाल

3- चम्पालाल

4- भागवानसिंह पुत्रगण स्व0 श्री हीरालाल लोधी

निवासी ग्राम राजपुरा तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना ।

5- मोहनबाई पुत्री स्व0 श्री हीरालाल पत्नि मथरालाल

निवासी महू, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ ।

6- गुलाबबाई पुत्री श्री कालूराम लोधी पत्नि गेंदालाल

निवासी ग्राम परधानी कुण्डल तहसील ब्यावरा ,गुना

7- अमरसिंह पुत्र मोतीलाल निवासी खेजरा घाट

जिला- भोपाल म0प्र0 ।

8- विक्रमसिंह पुत्र हरबक्स, निवासी तेलीगांव तहसील

चाचौड़ा, जिला गुना म0प्र0 ।

9- शान्तीलाल पुत्र श्री आशाराम लोधी निवासी

राजपुरा तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना म0प्र0 ।

10- सुमित्रा बाई पुत्री आशाराम पत्नि रामगोपाल

निवासी ग्राम खैराड़, तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना ।

दिनांक 27.9.17 को श्री प्रमोद आवेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत/

27.9.17

SO

CF-4/10/17

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

//2//

11- घापूबाई पत्नि धीरजसिंह , पुत्री श्री आशाराम ,
निवासी- ग्राम तेलीगांव, तहसील चाचौड़ा , जिला गुना म0प्र0 ।

--- अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23/6/2017 न्यायालय श्री नियाज अहमद खॉन ,अपर कलेक्टर गुना म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 6/16-17 निगरानी । -------------

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 3562

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है कि जब तक मृतक भूमिस्वामी के वारिसान के नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक बटवारा किया जाना उचित नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर का आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	